नम्बर व
अहकाम जो
किस तामील में

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी: मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 83 / 2022

उनवान

1–लालचन्द आत्मज कन्हैयालाल जाति धाकड
2.–जितेन्द्र आत्मज दीनदयाल जाति धाकड
3–धर्मन्द्र आत्मज दीनदयाल जाति धाकड
4–सुरेश आत्मज दीनदयाल जाति धाकड निवासीगण ग्राम खेडली काकोनिया तहसील कनवास जिला कोटा
–अपीलान्ट

बनाम

देवलाल आत्मज भैरू जाति बैरवा निवासी ग्राम बालूहेडा तहसील कनवास जिला कोटा राज0
–रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. श्री जगदीश नन्दवाना अभिभाषक रेस्पोडेण्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0टी0 एक्ट 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 10.12..2021 न्यायालय तहसीलदार कनवास जिला कोटा कार्यवाही 183 बी0 राज0 का0 अधि0 प्रकरण 6 / 2019 बउनवान देवलाल बनाम जितेन्द्र

निर्णय दिनांक :31.07.2024

अपीलाण्ट द्वारा जर्ये अभिभाषक यह अपील राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र के साथ संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसील कनवास मे देवलाल आत्मज भैरूलाल जाति बैरवा निवासी बालूहेडा अपीलाण्ट ने अन्तर्गत धारा 183 बी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अधिनस्थ न्यायालय तहसील कनवास द्वारा निर्णय दिनांक 10.12.2021 से स्वीकार करते हुए अप्रार्थी जितेन्द्र आत्मज दीनदयाल रेस्पोडेन्ट को बेदखली के आदेश दिये गये।

उक्त निर्णय की अप्रसन्नता में यह अपील दिनांक 24.11.2022 को पेश की गई। अपील पेश होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट, की ओर से श्री जगदीश नन्दवाना एडवोकेट उपस्थित। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अति. जिला कलक्टर
कोटा

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट का बहस अपील में कथन है यह कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही ग्राम बालूहेडा तहसील कनवास मे स्थित आराजी खसरा नम्बर 485 रकबा 0.63 हैक्टर मे से 0.31 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमण होना मानकर बेदखल करने का आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि ग्राम बालूहेडा स्थित ख0न0 485 की आराजी संयुक्त खातेदारी की आराजी है जिसके सभी खातेदारों को पक्षकार बनाये बिना ही बेदखली का आदेश प्रदान कर दिया। ग्राम बालूहेडा स्थित आराजी ख0न0 485 के अन्य भी खातेदार है जिनका अपनी अपनी हिस्से अनुसार काबिज काश्त है जिस बाबत अपीलाण्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में अपने जवाब में आपत्ति लेने के बावजूद भी उक्त आपत्ति पर गौर किये बिना ही आदेश पारित कर दिया, अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी रिपोर्ट दिनांक 28.10.2020 का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही बेदखली का आदेश प्रदान कर दिया जबकि उक्त रिपोर्ट के अनुसार सभी अपने अपने स्थान पर काबिज काश्त होना बताया गया है। हल्का पटवारी द्वारा पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 11.06.2014 की ताईद की है। उक्त पैमाईश रिपोर्ट में भी सभी अपनी अपनी जगह पर काबिज काश्त होना बताया है। अपीलाण्ट अपनी खातेदारी की आराजी पर काबिज काश्त है। अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट की आराजी पर कभी कोई अतिक्रमण नहीं किया और किसी प्रकार का जवाब अपीलाण्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिस पर पीठासीन अधिकारी द्वारा सभी पक्षों की उपस्थित में पैमाईश कर रिपोर्ट प्राप्त करने का निर्देश प्रदान किया किन्तु उक्त पैमाईश रिपोर्ट को आने से पूर्व ही अपीलाण्ट को बिना सुचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश प्रदान कर दिया अपीलाण्ट के कब्जे काश्त की आराजी से रेस्पोडेन्ट का कभी कोई सम्बन्ध नहीं रहा है अपीलाण्ट हमेशा से जहां पर काबिज काश्त है उसी जगह पर आज भी काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जाकर रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सव्यय खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट का बहस में कथन है कि धारा 183 बी के अन्तर्गत किसी अनूसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति की भूमि पर अन्य जातियो के व्यक्तियो द्वारा कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी जाति से बैरवा है। जो अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते है। बेदखली का दावा एक खातेदार भी कर सकता है, सबको पक्षकार बनाने की जरूरत नहीं है। उक्त भूमि प्राथी के खाते दर्ज है। जिसमे प्रार्थी काश्त करता चला आ रहा है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 76 संलग्न है। तथा अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से उक्त आराजी को कब्जा काश्त किया जा रहा है। तथा प्रतिपक्षी को प्रार्थी के खाते की आराजी या उसके किसी भाग पर किसी भी प्रकार से कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। तथा कानूनी प्रावधानों के विरूद्ध है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। हम पाते है कि ग्राम बालूहेडा तहसील कनवास ख0न0व 485 रकबा 0.63 हैक्टर मे से 0.31 भूमि में रेस्पोडेन्ट के खाते दर्ज रिकार्ड है। रेस्पोडेन्ट की जाति बैरवा है। जो अनूसूचित जाति के अन्तर्गत आते है। जिस पर जितेन्द्र,धर्मेन्द्र सुरेश पुत्रान दीनदयाल जाति धाकड निवासी बालूहेडा द्वारा कब्जा किया है, तहसीलदार कनवास द्वारा जिसे बेदखली के आदेश दिये है जिसे हम उचित मानते है। रेस्पोडेन्ट धारा 183 बी के अन्तर्गत कब्जा प्राप्त करने का हकदार है। तहसीलदार कनवास द्वारा अन्तर्गत धारा 183 बी के तहत की गई बेदखली की कार्यवाही आदेश दिनांक 10.12.2021 में हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझाते है। अपील अस्वीकार योग्य पाते है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार करने के ठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा